ए.आर.एस प्राथमिक परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए अनुदेश

परीक्षार्थी को निम्नलिखित अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ना अनिवार्य है। किसी भी अनुदेश के उल्लंघन के लिए परीक्षार्थी पर जैसा मंडल सही समझता है उस प्रकार दण्ड लगाया जा सकता है। परीक्षार्थी का रोल नम्बर तथा परीक्षा का स्थान प्रवेश प्रमाण पत्र पर दिया गया है। परीक्षार्थी को प्रवेश प्रमाण पत्र में दिये गए समस्त मदों की जांच करनी है तथा किसी प्रकार की विसंगतियां हों तो तुरन्त मंडल को ई–मेल coe@icar.org.in द्वारा सूचित करना है।

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र का प्रिन्ट आउट साथ में लाना आवश्यक है। इसके अलावा परीक्षार्थी को फोटो पहचान पत्र के रूप में ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र या कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र साथ में लाना है ताकि आवश्यकता होने पर पहचान प्रमाणित किया जा सके।
2. परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घंटे बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नही होगी।
3. परीक्षार्थी को स्वयं काला/नीला बालप्वाइंट पेन लाना है। परीक्षार्थी परीक्षा हाल में अन्य किसी प्रकार की वस्तुएं जैसे पुस्तक, नोट, लूज शीट, पेपर, मोबाईल, ब्लू टूथ उपकरण या अन्य कोई इलेक्ट्रोनिक उपकरण नही लाएं। इन वस्तुओं को रखने के लिए कोई व्यवस्था नही है।
4. केवल एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स (49), एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर्स एण्ड इन्वायरमैंटल मैनेजमेंट (52), एग्रीकल्चरल प्रोसेस इन्जीनियरिंग (54), फूड टेक्नोलोजी (55) डिसिप्लिन में बैठने वाले परीक्षार्थियों को साइंटिफिक केल्कुलेटर उपयोग करने की अनुमति है ।
5. किसी भी परीक्षार्थी को दूसरे परीक्षार्थी से नकल करने या अपनी शीट से किसी को नकल करवाने की अनुमति देने तथा किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता देने, देने का प्रयास करने, लेने या लेने का प्रयास करने की अनुमति नही है।
6. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा निरीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा हाल छोड़ कर नही जाएगा। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा हाल छोड़ कर बाहर जाने की अनुमति नही होगी।
7. परीक्षार्थी परीक्षा पूर्ण कर लेने के पश्चात अपने स्थान पर ही बैठकर प्रतीक्षा करें जब तक उत्तर पुस्तिका नहीं ले ली जाती है। परीक्षा के लिए निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार की मार्किंग नही कर सकते हैं।
8. परीक्षा हाल में खामोशी बनाए रखे। परीक्षा हाल में धूम्रपान करना सख्त वर्जित है।
9. परीक्षार्थी अपने द्वारा उपयोग किए जा रहे ओएमआर शीट के नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर एवं नाम लिखें। ओएमआर शीट पर एआरएस प्राथमिक परीक्षा का विषय तथा विषय का कोड नियत स्थान पर लिखना आवश्यक है।
10. प्रवेश के लिए या परीक्षा हाल छोड़कर जाने के लिए निर्धारित समय हुआ है या नही या निर्धारित समय की समाप्ति के संदर्भ में परीक्षा निरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।
11. प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रश्न–पत्र/उत्तर पुस्तिका के आवरण पर दिए गए समस्त अनुदेशों या परीक्षा पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करना अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी अनियमित या अनुचित आचरण करता है तो परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा या मंडल जैसा ठीक समझे वैसा दंड दिया जाएगा।

कृपया नोट करें।

क) इस कार्यालय से समस्त पत्राचार के दौरान आपको अपना रोल नम्बर, नाम तथा परीक्षा का वर्ष, वृत्तिक विषय तथा परीक्षा केन्द्र का उल्लेख करना चाहिए।
ख) यात्रा एवं अन्य खर्च उम्मीदवार को स्वयं वहन करना होगा। मंडल द्वारा रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जाएगी।
ग) पत्राचार पते में परिवर्तन संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES APPEARING IN PRELIM. ARS EXAMINATION

The candidate must study carefully the following instructions. Failure to observe any instruction will render him/her liable to such punishment as the Board may deem fit to impose. Candidate's Roll Number and Venue for the Examination are given on the Admission Certificate. Candidates are required to check all the items of the Admission Certificate carefully and bring discrepancies if any, to the notice of the Board immediately through mail to coe@icar.org.in.

1. The candidate must bring the printout of admission certificate in the examination hall to secure admission. The candidate also carry a Photo-ID like driving license, Voter-ID Card or College ID Card in addition, if required to prove identity.
2. No candidate shall be allowed to enter the Examination Hall after half an hour of the commencement of the paper.
3. **The candidate should bring his own Black/Blue Ball point pen. The candidate should not bring any other articles such as books, note, loose sheets, pager, mobile, Bluetooth device and other electronic devices etc. into the Examination Hall. There is no arrangement for keeping these.**
4. Candidates appearing in Disciplines of Agricultural Statistics (49), Agricultural Structures and Environmental Management (52), Agricultural Process Engineering (54), Food Technology (55) shall only be allowed the use of electronic calculator.
5. No candidate shall copy from sheet of any other candidate, nor permit his own sheet to be copied, nor give, nor attempt to give, nor obtain, nor attempt to obtain irregular assistance of any description.
6. No candidate shall leave the Examination Hall without prior permission of the Invigilator. No candidate shall be permitted to leave the examination hall after the commencement of the examination. No candidate shall leave the Examination Hall before the closing time of the exam.
7. The candidate after finishing his examination shall continue to be seated on his seat and wait until his answer sheet is collected. HE SHALL NOT MARK HIS ANSWER AFTER THE EXPIRY OF THE ALLOTTED TIME.
8. Silence must be observed in the Examination Hall. Smoking in the Examination Hall is strictly prohibited.
9. The candidate must write his Roll Number and name in the space provided for the purpose on OMR sheet which he uses. The candidate must write his **Prelim. ARS Examination** discipline and discipline code in the space provided for the purpose on OMR Sheet.
10. The decision of the Supervisor as to whether the time as indicated above for admission to or leaving the Examination Hall is over or not and regarding expiry of the allotted time, shall be final.
11. The candidate must abide by any such instructions as may be specified on the cover of the Question Booklet/Answer Sheet or any further instruction which may be given by the Supervisor of the Examination. If the candidate fails to do so or indulges in disorderly or improper conduct, he/she will render himself/herself liable to expulsion from the Examination and/or such other punishment as the Board may deem fit to impose.

Please note that:

(i) You are required to quote the Roll Number, Name and the year of the examination, Professional Subject and Centre of Examination in all correspondence with this office.
(ii) Travelling and other expenses shall be borne by the candidates themselves. The Board does not make arrangements for boarding and lodging of the candidates.
(iii) No request for change in correspondence address shall be entertained.